न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

बइजलास दीपक सिंह खटाना (RAS)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
160 / दावा / 2022	30.11.2022	24.01.2025

1. मोडू आ0 श्रीराम जाति गुर्जर निवासी खेडियां दुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

.........वादी

// बनाम //

1. देवप्रकाश आ0 छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी खेडियां दुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2. सत्यनारायण आ0 छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी खेडियां दुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी राज0

..........प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा– 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादी की ओर से श्री हंसराज रेबारी

वादी श्रीमान के समक्ष निम्न वाद पेत्र पेश करता है:–

1. कृषि भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.46 है0, खसरा संख्या 279 रकबा 0.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम जालेडा तहसील के0पाटन जिला बून्दी में विस्थित है जिसका खातेदार टीनेन्ट वादी एवं प्रतिवादीगण 1, 2 है एवं वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।
2. उक्त कृषि भूमि के सेटलमेंट सन 1955 से 2015 के पहले के खसरा संख्या 194 मि0 रकबा 6 बीघा 9 विस्वा है तथा इसके पहले सम्वत 2022 से 41 के पहले के खसरा संख्या 122 मि0, 126 मि0, 127 मि0 बनते है।
3. खातेदार सरया आ0 चन्दा जाति गुर्जर के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि है किन्तु उक्त कृषि भूमि पर खातेदार के शब्द के पहले मु0 कदीम लिख दिया है जो गलत है। सेटलमेंट को शब्द घटाने व बढाने या रद्दोबदल करने का कोई अधिकार नहीं है केवल रिपिटेशन करना होता है।
4. वादी ने पहले भी प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मु0 कदीम शब्द को हटाया जावें किन्तु आश्वासन ही मिलता रहा है कि हटा देगें।
5. वादी को अधिकार प्राप्त है कि दावा दायर करके खातेदार शब्द के पहले अंकित मु0 कदीम को हटाये तथा सरया के स्थान पर श्रीराम किया जावें।

Scanned with OKEN Scanner

6. वादी ने पहले भी कितनी बार निवेदन किया कि मु0 कदीम शब्द को हटाया जावें तथा सरया के स्थान पर श्रीराम अंकित किया जावें किन्तु दुरूस्त नहीं किया तब अंतिम बार 22.11.2022 को अंतिम बार निवेदन किया तो कहा कि अदालत में जाकर सही करवाओं, यही वाद कारण है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि :– कृषि भूमि 278 रकबा 0.46 है0, खसरा संख्या 279 रकबा 0.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम जालेडा में स्थित कृषि भूमि पर अंकित मु0 कदीम शब्द हटाया जावें। इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जावें। शेष अंकन यथावत रहेगा।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स्वयं या कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी PW-1 मोडू का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी ग्राम जालेडा सम्वत् 2018 से 2020, भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग मीलान क्षैत्रफल वर्ष 2022 से 2041, भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी ग्राम जालेडा सम्वत् 2022–41, भू–प्रबन्ध विभाग नकल मिलान क्षैत्रफल सन् 01.04.1995 से 31.03.2015, भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 121 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म संख्या 7 ग्राम जालेडा सन् 01.04.1995 से 31.03.2015 की खतौनी जमाबंदी खसरा संख्या 278, 279 एवं जमाबंदी ग्राम जालेडा अंतिम चौसला संवत् 2075–2078 पेश की है।

वादी अधिवक्ता बहस सुनी गई। जिसमें वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा वादी की ओर से "R.R.T. 2015(2) BOARD OF REVENUE FOE RAJASTHAN, AJMER, Charan Singh & Ors. Vs. Khubi & Ors." पेश की है जिसमें Rajasthan Tenancy Act. 1955-Sec. 88-Suit for declaration of khatedari rights-Share of the plaintiff wrongly entered 1/12 instead of 1/8-Suit decreed-Appeal dismissed-Trial Court corrected the error committed by the Settlement department-Settlement department is bound to repeal the entries-Held, Appeal is devoid of substance & dismissed.'' ''1998 आर.बी.जे. पृष्ठ 274 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि – Settlement Authorities cannot change the previous entries in revenue record. The Settlement Authorities are not competent to change the previous entries existed in the revenue record unless the changes occur under the orders of a competent authority.'' 1998 (5) आर.बी.जे. पृष्ठ 290 में । यह अवधारित किया गया है कि – Settlement Authorities must repeat previous entries – unless change occurred as a result of order of competent authority or succession or transfer or by a certified mutation order.

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम जालेडा सम्वत् 2018 से 2020 में वादी के पिता सरया वल्द चन्दा कौम गूजर सा. खेडया दुर्जन दर्ज है। परन्तु सेटलमेंट के बाद की जमाबंदी ग्राम जालेडा सम्वत् 2022–41 में सरिया पुत्र चन्दा कौम गूजर सा. खेडया दुर्जन मु. कदीम खातेदार, भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 121 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म संख्या 7 ग्राम जालेडा सन् 01.04.1995 से 31.03.2015 की खतौनी जमाबंदी खसरा संख्या 278, 279 में मोडू पुत्र सरया कौम गूजर सा. खेडया दुर्जन मु. कदीम खातेदार एवं जमाबंदी ग्राम जालेडा अंतिम चौसला संवत् 2075–2078 में मोडू पुत्र सरया उर्फ श्रीराम हिस्सा 1/2 जाति गूजर सा. खेडिया दुर्जन मु. कदीम खातेदार दर्ज है, जो त्रुटि पूर्वक दर्ज रेकार्ड हुआ है। वाद वर्णित कृषि भूमि से मु. कदीम शब्द हटाया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.46 है0, खसरा संख्या 279 रकबा 0.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम जालेडा तहसील के0पाटन जिला बून्दी में दर्ज मु. कदीम के अंकन को विलोपित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

मोहर

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास– दीपक सिंह खटाना

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 160/2022

1. मोडू आ0 श्रीराम जाति गुर्जर निवासी खेडियां दुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

.........वादी

// बनाम //

1. देवप्रकाश आ0 छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी खेडियां दुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2. सत्यनारायण आ0 छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी खेडियां दुर्जन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी राज0

...........प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री हंसराज रेबारी अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.01.2025 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:–

"वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.46 है0, खसरा संख्या 279 रकबा 0.58 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम जालेडा तहसील के0पाटन जिला बून्दी में दर्ज मु. कदीम के अंकन को विलोपित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत ....ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.01.2025 को जारी की गई।

मोहर

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with OKEN Scanner